रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML–2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2005/9 पौष, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171 004, 27 दिसम्बर, 2005

संख्या वि0 स0–विधायन–गवर्नमैंट बिल/1–68/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 30)

4068–राजपत्र/2005–30–12–2006–1,473. (5563) मूल्य : 1 रुपया।

जो आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(जे0 आर0 गाज़टा)
सचिव।

2005 का विधेयक संख्यांक 30

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों तथा उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों के विनियमन हेतु उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "भत्ते" से इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को अनुज्ञेय भत्ते अभिप्रेत हैं;

(ख) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ग) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(च) "अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी" से हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी अभिप्रेत हैं;

(छ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; और

(ज) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें।

3. (1) वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश अथवा निर्णय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट वेतनमान संदत्त किया जाएगा।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के भत्तों की दरें और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं।

नियम बनाने की शक्ति।

4. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व्यावृत्तियां।

5. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तत्काल पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को लागू नियम, तब तक वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करते रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने वाले नियम नहीं बनाए जाते हैं।

अनुसूची

[*धारा 2 (ङ) और 3 (1) देखें*]

अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को अनुज्ञेय वेतनमान

मास्टर स्केल : **2520-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-7000-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500-400-15900-450-18600-500-23600.**

क्रम संख्या	प्रवर्ग	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
1.	अधीक्षक ग्रेड–I	वर्ग-I राजपत्रित	7220–220-8100-275-10300-340-11660.
2.	अधीक्षक ग्रेड–II	वर्ग-I I अराजपत्रित	6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.
3.	निजी सहायक	–यथोपरि–	–यथोपरि–
4.	रीडर	वर्ग-I I I	5800-200-7000-220-8100-275-9200
5.	अंग्रेजी लिपिक	–यथोपरि–	–यथोपरि–
6.	सिविल नाजिर	–यथोपरि–	–यथोपरि–
7.	अनुवादक	–यथोपरि–	–यथोपरि–
8.	अभिलेखपाल (रिकार्ड कीपर)	–यथोपरि–	–यथोपरि–
9.	वरिष्ठ सहायक	–यथोपरि–	–यथोपरि–
10.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	–यथोपरि–	–यथोपरि–
11.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	–यथोपरि–	4400-150-5000-160-5800-200-7000.
12.	आशुटंकक	–यथोपरि–	3330-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200.
13.	छुट्टी रिजर्व लिपिक / लिपिक	–यथोपरि–	3220/- रुपये से आरम्भ 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160.
14.	अहलमद (रिकार्ड कीपर)	–यथोपरि–	–यथोपरि–
15.	सहायक अंग्रेजी लिपिक	–यथोपरि–	–यथोपरि–
16.	अहलमद / सी आर अहलमद	–यथोपरि–	–यथोपरि–
17.	कोर्ट नाजिर	–यथोपरि–	–यथोपरि–
18.	नकलनवीस (कॉपिस्ट)	–यथोपरि–	–यथोपरि–
19.	नायब नाजिर	–यथोपरि–	–यथोपरि–
20.	लिपिक एवं टंकक	–यथोपरि–	–यथोपरि–
21.	नाजिर	–यथोपरि–	–यथोपरि–
22.	समरी लिपिक	–यथोपरि–	–यथोपरि–
23.	वेतन पाने वाला अभ्यर्थी	–यथोपरि–	–यथोपरि–
24.	संरक्षक लिपिक	–यथोपरि–	–यथोपरि–

1	2	3	4
25.	निष्पादन लिपिक	वर्ग-III	3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160.
26.	बेलिफ	–यथोपरि–	–यथोपरि–
27.	चालक	–यथोपरि–	3330-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200.
28.	दफ्तरी	वर्ग-IV	2820-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400.
29.	आदेशिका तामीलकर्ता	–यथोपरि–	2720-100-3220-110-3660-120-4260.
30.	अर्दली	–यथोपरि–	2620/- रुपये से आरम्भ 2520-100-3220-110-3660-120-4140.
31.	चपड़ासी	–यथोपरि–	–यथोपरि–
32.	माली	–यथोपरि–	–यथोपरि–
33.	चौकीदार	–यथोपरि–	–यथोपरि–
34.	सफाई कर्मचारी	–यथोपरि–	–यथोपरि–
35.	चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी	–यथोपरि–	–यथोपरि–

उद्देश्यों और कारणों का कथन

न्यायपालिका आदि के वेतनमानों और सेवा की शर्तों पर शैट्टी आयोग रिपोर्ट की विभिन्न सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए वाद रिट याचिका संख्या 1022/89 नामतः "ऑल इण्डिया जज़िज एसोसिएशन बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर्ज", तारीख 20–09–2004 और 17–01–2005 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेशों में निदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने सिफारिशों की परीक्षा कर ली है और इसमें महत्वपूर्ण आवर्ती व्यय अंतर्वलित होने के बावजूद कई सिफारिशों को स्वीकार किया है। राज्य सरकार ने अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए अन्य बातों के साथ, उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी असमर्थता व्यक्त की है, क्योंकि राज्य के कर्मचारियों के विशिष्ट वर्ग के लिए उपर्युक्त सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप राज्य के अन्य समान वर्ग के कर्मचारियों में असमानता होगी और अन्य सेवाओं से समान मांगें उठेंगी।

इस सम्बन्ध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के कई आदेशों को ध्यान में रखते हुए, मामला मन्त्री परिषद् के समक्ष तारीख 13–10–2005 को हुई इसकी बैठक में रखा गया था। अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा की शर्तों पर शैट्टी आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने बारे प्रस्ताव को मन्त्री परिषद् ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के वर्तमान अनुज्ञेय वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों के परिरक्षण के लिए विधान लाने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

शिमला :
तारीख :

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

वित्तीय ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर वार्षिक आवर्ती व्यय लगभग चार करोड़, इकतालीस लाख, छयासठ हजार रुपये उपगत होगा। अतिरिक्त व्यय शून्य होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 और 4, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने हेतु सशक्त करते हैं। यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश

[नस्ति संख्या–गृह–बी–(बी) 7–4 / 2003]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) विधेयक, 2005 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों तथा उनसे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के विनियमन हेतु उपबंध करने के लिए विधेयक।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख ....., 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 30 of 2005

THE HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE COURTS' EMPLOYEES (PAY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE) BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the regulation of the pay, allowances and other conditions of service of the Subordinate Courts' employees in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (pay, allowances and other conditions of service) Act, 2005.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "allowances" means the allowances admissible to the employees of the Subordinate Courts in Himachal Pradesh immediately before the commencement of this Act;

(b) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(c) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(d) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

व्य

(e) "Schedule" means Schedule appended to the Act;

(f) "Subordinate Courts' employees" means the employees of the Subordinate Courts of Himachal Pradesh;

(g) "State" means the State of Himachal Pradesh; and

(h) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

Pay, allowances and other conditions of service.

3. (1) Notwithstanding anything contained in any rules regulating the pay, allowances and other conditions of service or any judicial order or judgment passed by any competent court, the Subordinate Courts' employees shall be paid the pay scales, as specified in the Schedule.

(2) The rates of allowances and other conditions of service of the Subordinate Courts' employees shall be such as may be prescribed.

Power to make rules.

4. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules regulating the pay, allowances and other conditions of service of the Subordinate Courts' employees.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Saving.

5. The rules applicable to the Subordinate Courts' employees immediately before the commencement of this Act, shall continue to regulate the pay, allowances and other conditions of service until rules regulating pay, allowances and other conditions of service are framed under this Act.

SCHEDULE

{*See* sections *2*(*e*) and 3(1)}

Pay Scales admissible to Employees of Subordinate Courts

Master Scale: 2520-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-7000-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500-400-15900-450-18600-500-23600

Sl. No.	Category	Classification	Pay scale
1	2	3	4
1.	Superintendent Grade-I	Class-I Gazetted	7220-220-8100-275-10300-340-11660.
2.	Superintendent Grade-II	Class-II Non-Gazetted.	6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.
3.	Personal Assistant	-do-	-do-
4.	Reader	Class-III	5800-200-7000-220-8100-275-9200.
5.	English Clerk	-do-	-do-
6.	Civil Nazir	-do-	-do-
7.	Translator	-do-	-do-
8.	Record Keeper	-do-	-do-
9.	Senior Assistant	-do-	-do-
10.	Senior Scale Stenographer	-do-	-do-
11.	Junior Scale Stenographer	-do-	4400-150-5000-160-5800-200-7000.
12.	Steno Typist	-do-	3330-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200.
13.	Leave Reserve Clerk/Clerks	-do-	3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 with start of Rs. 3220/-.
14.	Ahlmad (Record keeper)	-do-	-do-
15.	Assistant English Clerk	-do-	-do-
16.	Ahlmad/Cr. Ahlmad	-do-	-do-
17.	Court Nazir	-do-	-do-
18.	Copyist	-do-	-do-
19.	Naib Nazir	-do-	-do-
20.	Clerk-*cum*-Typist	-do-	-do-
21.	Nazir	-do-	-do-
22.	Summary Clerk	-do-	-do-
23.	Paid Candidate	-do-	-do-
24.	Guardian Clerk	-do-	-do-
25.	Execution Clerk	-do-	-do-
26.	Bailiff	-do-	3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160.
27.	Driver	-do-	3330-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-6200.
28.	Daftri	Class-IV	2820-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400.
29.	Process Server	Class-IV	2720-100-3220-110-3660-120-4260.
30.	Orderly	Class-IV	2520-100-3220-110-3660-120-4140 with start of Rs. 2620/-.
31.	Peon	Class-IV	-do-
32.	Mali	Class-IV	-do-
33.	Chowkidar	Class-IV	-do-
34.	Safai Karamchari	Class-IV	-do-
35.	Chowkidar-*cum*-Safai Karamchari	Class-IV	-do-

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Hon'ble Supreme Court in its orders in the case Writ Petition No. 1022/89 titled "All India Judges Association *Vs.* Union of India and Others" dated 20-9-2004 and 17-1-2005 had issued directions on the implementation of various recommendations of the Shetty Commission Report on the pay scales and service conditions of the Judiciary etc. The State Government has examined the recommendations and has accepted number of recommendations despite its involving significant recurring expenditure. The State Government had also expressed its inability before the Supreme Court to implement the recommendations in respect of the Subordinate Courts' employees pay, allowances and conditions of service *interalia* because the implementation of the said recommendation for a particular section of employees of the State will result in disparity among the remaining similarly placed categories of the State employees and lead to similar demands from the other services.

Keeping in view the various orders of the Hon'ble Supreme Court in this regard, the matter was placed before the Cabinet in its meeting dated 13-10-2005. The Cabinet did not approve the proposal to implement the Shetty Commission Report on the pay scales and service conditions of the Subordinate Courts employees. As such, it has been decided to bring a legislation in order to preserve the presently permissible pay, allowances and conditions of service of the Subordinate Courts' employees.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA:
The....., 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

The annual recurring expenditure being incurred on pay and allowances of the employees of the Subordinate Courts in Himachal Pradesh will be approximately Rs. 4,41,66,000/-. Additional expenditure would be nil.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 3 and 4 of the Bill, seeks to empower the State Government to make rules regulating the pay, allowances and other conditions of service of the Himachal Pradesh Subordinate Courts' employees. This delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. Home-B (B) 7-4/2003]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (pay, allowances and other conditions of service) Bill, 2005, recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE COURTS' EMPLOYEES (PAY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE) BILL, 2005

A

BILL

to provide for the regulation of the pay, allowances and other conditions of service of the Subordinate Courts' employees in the State of Himachal Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :
The....., 2005.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित